

शहरी विकास विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रः दिल्ली सरकार
७वां तल, सी-विंग, दिल्ली सचिवालय, इन्ड्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली


विधायक का नाम : श्री मोहन सिंह बिष्ट

दिनांक : 30.07.2021

विधानसभा अतारांकित प्रश्न संख्या : 75

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

क्र. सं.	प्रश्न	उत्तर
क	दिल्ली के अन्दर अनाधिकृत कॉलोनियों की कुल संख्या कितनी है,	<u>अनाधिकृत कॉलोनियों शाखा (शहरी विकास विभाग):-</u> दिल्ली में 1639 (1797 भाग सहित) अनाधिकृत कॉलोनियों हैं।
ख	क्या यह सत्य है कि इन अनाधिकृत कॉलोनियों के विकास करने से पहले विभाग द्वारा भूमि संबंधित जानकारी ली गई है,	<u>अनाधिकृत कॉलोनियों शाखा (शहरी विकास विभाग):-</u> अनाधिकृत कॉलोनियों में विकास कार्य कालोनी के ले आउट प्लान (Lay out Plan) के अनुसार होता है। जो कि कॉलोनियों के RWA ने 2007–2008 में जमा कराये गये थे।
ग	यदि हाँ, तो क्या यह भी सत्य है कि भूमि जानकारी होने के बावजूद शहरी विकास मंत्रालय द्वारा इन अनाधिकृत कॉलोनियों में विकास कार्य करने के लिए एजेंसी निर्धारित की गई थी,	<u>अनाधिकृत कॉलोनियों शाखा (शहरी विकास विभाग):-</u> शहरी विकास विभाग की अनाधिकृत कॉलोनियों शाखा के आदेश दिनांक 09.11.2017 के अनुसार दिल्ली की 1639 (1797) अनाधिकृत कॉलोनियों में विकास कार्य हेतु DSIIDC and I&FC को विधानसभा वार अनाधिकृत कॉलोनियों आवंटित की गई है।
घ	यदि हाँ, तो क्या यह भी सत्य है कि आज तक शहरी विकास विभाग के पास इनके विकास संबंधित फाइलें लंबित पड़ी हैं, और	<u>अनाधिकृत कॉलोनियों शाखा (शहरी विकास विभाग):-</u> शहरी विकास विभाग में अनाधिकृत कॉलोनियों के विकास कार्य हेतु कोई भी फाईल लम्बित नहीं है।
ड	यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं तथा इन फाइलों को कब तक स्वीकृति दे दी जाएगी ?	<u>अनाधिकृत कॉलोनियों शाखा (शहरी विकास विभाग):-</u> उपरोक्त 'क' अनुसार।


 Deputy Secretary (Admn.)
 Urban Development Deptt.
 Govt. of N.C.T. of Delhi
 9th Level, Delhi Sectt.
 New Delhi-110002